

### कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गैरसैंण

Phone No/ Fax No: 01363.278533

Mail: eecdgairsain@rediffmail.com

835/1 ver. v. पत्रांक

दिनांक /0/07/2018.

सेवा में

उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,

गोपेश्वर।

विषय:-

जनपद चमोली में मैहलचौरी बैण्ड से सिलंगना – घनियाली मोटर मार्ग के निर्माण हेत् 0.451 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादनू का पत्र संख्या 08 बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 276 / 2015 / एफ0सी0 / 1815, दिनांक 06 / 02 / 2018.

महोदय.

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि इस खण्ड के अन्तर्गत उक्त मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। अधिरोपित 5 शर्ता की अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है।

शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल 451 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु रू० 4,51,000.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/ RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA, APPLICATION NO. ROAD 6199040152 Date 03/07/2018 द्वारा यथासंशोधित धनराशि जमा कर दी गई है। भुगतान चालान की प्रति संलग्न है।

शर्त संख्या 02 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3 /2007-एफ0सी0 दिनांक 05/02/2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि रू० 3,81,095.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA, APPLICATION NO. ROAD 6199040152 Date 03/07/2018 द्वारा एन.पी.वी. की शृद्ध वर्तमान धनराशि जमा कर दी गई है। भूगतान चालान की प्रति संलग्न है।

शर्त संख्या 03 में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, जिसका की प्रमाण पत्र संलग्न है।

शर्त संख्या 04 अनुपालन में सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम से ऑनलाइन बैंक में जामा किया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।

शर्त संख्या 05 में सडक निर्माण के पश्चात दोनों किनारों तथा Central Verge पर इस खण्ड द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantaiton कर ली जायेगी। वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें, जिससे मार्ग में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

alc

(इं० एम०पी०एस0रावत) अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड.लो०नि०वि

पत्रांक 835 / । रखे र तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:-

जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:--

अधीक्षण अभियन्ता महोदय, ७वॉ वृत्त, लो०नि०वि०, गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड,ला ०नि०वि०,

all

#### AGENCY COPY

## NET 1 / RTGS GHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 02-04-2018

Agency Name	PWD CD GAIRSAIN	
Application No.	6199040152	
MoFF/SG File No.	8B/UCP/06/276/2015/FC	
Location.	UTTARANCHAL	
Address.	Construction Division PWD GairsainChamoli	
Amount(in Rs)	832095/-	

Amount th Words - Eight Lakh Thirty-Two Thousand and

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896199040152 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NETT/RTGS only This challan is valid only for seven days

After making successful payment, User Agencies may s Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print

SE(NR 520 180703000 99018

Guarinal - El Animo mic (MI)

छाया प्रति प्रमाणित

Construction Division & \W.D Gairsain

परियोजना का नाम— जनपद चमाली के विकासखण्ड गैरसैण में मेहलचौरी मोड़ से सिलंगना— घनियाली मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 1.500 किमी0।

# एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

- By

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गैरसैण, चमोली। सहाराकु स्मानस्प निर्माण खाण्ड क्लोजनिल्यि० गैरसैंग, चेमाली अधित्रांसी व्यक्तिताः निर्माणं खण्डः लोठनिठि० गैरसैण, चमोली ।

नको

35

के

क

छाया प्रांत प्रमाणित

Assistant Engineer Construction Division
W.D Gairsain

## Government Of Uttarakhand

Office Of the District Collector: Chamoli

No	. K.Y
	1711

Dated. 12 12 2014

## TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry Of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No - 11-9/98-EC(pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settiement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dewellers (Recognitation of Forest Rights, Act 2006 (FRa, for Short )on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MOEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.581 Hect of forest land proposed to be diverted in favor of P W D Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of MehalChori Band to Shilanga-Ganiyal Motor Road 1.5 Km Under P W D Gairsain (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Gairsain Tehsils.

It is further certified that:

***		Remark
SN (A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.581 hect of civil area proposed for diversion . A copy of recoreds of all consultations and meetings of the forest Right Committees ,Gram Sabha(s) sub-Division Level committee(s) and District level Committee are enclosed as annexure 1 to - annexure.	not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities .	forest file.  not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

छाया प्रति प्रमाणित

Assistant Engineer Construction Division (S.A. Murugeson, District Magistrate Chamoli)

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि इस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना / अमिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

### FORM-1 (for linear projects) Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No----

Dated\_30/01/15

### TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3 August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5 February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.451 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D (name of user agency) for Construction Of Mehalchauri bend to Silangana Ghaniyali M/R (purpose for diversion of forest land) in Chamoli district falls within jurisdiction of Silangana village (s) in Gairsain tehsil.

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.451** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

n

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

छाया प्रति प्रमाणित

Assistant Engineer Construction Division WD Gairsain

### FORM-II (for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

Dated 30/01/15

### To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of dia's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3 August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on ibmission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under e Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 106 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is rtified that 0.451 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD (name of user ency) for Mehalchauri bend to Silangana Ghaniyali (purpose for diversion of forest land) in namoli district falls within jurisdiction of Silangana village in Gairsain tehsil. is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.451 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion, a copy of certificate issued by the garm sabha of Silangana village is enclosed.

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it:
- the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

: As above.

10---

Signature S

(Full name and official seal of the District Collector)

छाया प्रति प्रमाणित

Assistant Engineer Construction Division 2.W D Gairsain

#### प्रारुप-30.1

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Ashok Kumar District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on Chaeshwar At 3.15 at Chamoli in which application claiming rights in Gairsain area measuring 0.451 hect for the construction of b Mehalchauri bend to Silangana Ghaniyali M/R forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Silangana Ghaniyali sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;....

Dated:

hudul mahalehorn

m

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

छाया प्रति प्रमाणित

Assistant Engineer
Construction Division
WD Cairsain

WD Gairsain

#### प्रारुप-30.2

परियोजना का नाम- जनपद चमाली के विकासखण्ड गैरसैण में मेहलचौरी मोड़ से सिलंगना— घनियाली मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 1.500 किमी0।

1.500 1474101
कार्यालय उप जिलाधिकारी, — चीर सेंग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, — में र से हा
anome aktor my 7 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
( र्यु व्या है) आरक्षित वर्न भूमि, श्रू वे हिंद सिविल एवं सोयम वन भूमि वः १८ । है। वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल विकास है। है। वन भूमि ) का — विकास विकास एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु
—————————————————————————————————————
अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड
स्तरीय समिति, (तहसील — उर्भारा) की दिनांक ———— को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—
अनुसचित जनजाति और अन्य प्रमुख्यान ना किस्सी (न किस्सी)
न । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता/ में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।
1- श्री तिशान सिंद्रोती उपजिलाधिकारी — ग्रेंड्सेंग्र अध्यक्ष
2- श्री - सर-द्र लाल - उप प्रभागीय वनाधिकारी - गर्सेण - सदस्य ५ /
3- श्री रहेरे - द त्याल सहायक समाज कल्याण अधिकारी - सरस्य सचिव 4- श्री - केमला दुर्ती -बीoडीoसीo क्षेत्र सिल्याचा स्वाच्याची - सदस्य स्वरंप
में दल स्पेरिय कि प्रिंग की गई। माननीय सदस्यों की अवगत कराया भया कि
परियोजना हेतु. १.४८ है० वन भूमि
अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि  में हल जी री मोड़ से सिलगा - धान या ली मोड़ मार्ग परियोजना हेतु.क.: 451है0 वन भूमि  प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेत प्रस्ताह प्रारमित कराये के क्ष
अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उत्का भूमि का संसंधित गया गया। ग्राम सभा के
में में रे
संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी किर्मानिकारी केर्
गरम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार
न अभिनेत्र के अनुवास के अधिकार समिति द्वारा अनुवासित जारी की जा सकती है।
मार्ट्य मार्ग परियोजना के निर्माण हेन 0.461 है। जा अपि में के अन्तर्गत - सिल्या - धा-। पाली
बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड — मेरिसेंग परिक्षेत्र के अन्तर्गत — सिन्गा — धा- पाली पाली परिक्षेत्र के अनुपति परियोजना के निर्माण हेतु ०.४६। है० वन भूमिली श्रिक्षेत्र परियोजना के जनहित में अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गया।
उप जिलाधिकारी अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील—ग्रेग्स जू
तिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
छाया प्रांत प्रमाणित
उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय रूप अधिकार समिति
उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपख्ण्ड स्तरीय जून अधिकार समिति तहसील— डो.र.स.च Assistant Engineer जनपद — चामा ली Construction Division
प्रतिकार प्

परियोजना का नाम :- जनपढ़ चमोली के उनर्तगत मेहलचों की मोड से सिलगना धनियाली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेत

# वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम प्रेन्ट्रेंग तहसील चीरसैंह। जिला चामोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला च मार्जी उत्तराखण्ड में मिला परियोजना के निर्माण हेतु ( कू मिला अपिता के निर्माण हेतु ( कू मिला के अधित वन मूमि, किला के निर्माण हेतु किला के सिवल सोयम भूमि... है। वन पंचायत भूमि के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

जनत प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत किरान होए। द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम समा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्ना/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पर्ध किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम — सिल्प्या के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि जोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-ग्राम सचिव



नोट :- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

छाया प्रति प्रमाणित



### प्रपत्र-23.1 30.4

दिनांक	<u></u> ्व	गे, ग्राम	सभा	की	सम्पन्न	बैठक	की	<b>उपरिथ</b> ति
	ग्रा							i i

क्रमांक	ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
प्रनापर	मी शफीन्द्र खिंह साह	Sleeves
1.	देश्लान सिंह	दरतान सिंह
3-	THE - CRIE	14 हे- न सिंह
4.5	Elsi Rie	हिर्गि (सम्
	लालाकत सिंह	lez
5,-	अन्ततार सिंह	31318 185
7 -	इन्द्रा देवी	उट्टरा एका
8 -	9-वानी द-त	Place
g _1		13.05 8.07-11-11
(6-	रा-दीप सिंह	Societa
ે તે ભારત		4
1311		
1.1		

खाया प्रति प्रमाणित

Assistant Engineer
Construction Division
W.D. Gairsain

(Po Books)

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में प्रस्तावित मोटर मार्ग (मैहलचौरी मोड से ग्राम सिलंगाना के धनियाली गांव तक 1.5 कि.मी. मोटर मार्ग ) के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण / मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।



नाम-मी. रामें नासंह शहरी

भवदीय

ग्राम- स्टिला। पा. महत्त्वीरी के गरनेत्र-वर्गी

के नाथ भूमि विवरण निम्न प्रकार है।-

∪i₹উল:	द्रशा∕ राज्ञरा नम्बर	मूमि है0
¥	2436	0.033 86
	• B	
#1		
<b>v</b>	749	
		V <sub>q</sub>

न

अवर आभग्य

० नि० वि०

क्षे नि वि

रें भेज

अंग्रे छेन

Assistant Engineer Construction Division P.W.D. Gairsain

(And)

ह0- राजस्व उप निरीक्षक

no 30170 - 4152119



छाया प्रति प्रमाणित

Assistant Engineer Construction Division \*\* W.D Gairsain



, जनपद चनोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रधाग में प्रस्तावित मोटर मार्ग (मैहलचौरी मोड से ग्राम सिलंगाना के धनियाली गांव तक 1.5 किमी मोटर मार्ग ) के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण / मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

210171 नाम-भीद्रखान सिंह पि

सेक्शन..... क़ास पुत्र श्री

प्रस्त:वित पट्टवारी वृत्त ग्राम

डिस्पोजल

कास्तकार हेत् िजला

18

9

F

क्र

के नाः शूमि विदरण निम्न प्रकार है।-

7.31°	ंः । खसरा नम्बर	सूरी है।
1	102% म०	0.0251 8
	10 धर मण	0.02020
	1040 मण	N.022 € 0
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		1

मक

नीन नि० वि०

TOWNT

अवर आभवापा 面。用。局。

3722101

Construction Division Construction Construction Division

अन्तिय

आध्यासी उनमेशन ली निव विव 372805

ह0- राजस्व उप निरीक्षक

छाया प्रति प्रमाणित

Construction Division 4 NW.D Gairsain

# समझौता ज्ञापन ( व्यक्त 48 '

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गैरसेंण (कार्यदायी

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नाप भूमिधर जिनकी भूमि गैरसैंण- मैहलचौरी मोड से सिंलगना घनियाली गर्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

आज वर्ष १०१५....के जनवरी महीने की १.०...तारीख को निष्पादित किया गया है।

ह सहमति हो गयी है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी। हि सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण / मक डिस्पोजल हेतु जायी जानी है। ो वर्तमान स्वीकृत सर्किल द्रों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य

प्रदि ोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर

ठसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम कारी होगा। निखत तारीख, माह वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है। पिता का नाम

दायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

- इं0 के0सी0आर्या नाम- अधिशासी अभियन्ता र्गाण खण्ड लो०नि०वि० गैरसेंण नाम भूमिधर 1- राजेन्द्र सिंह

2- देश्लान सिंह

5-

उनालम सिंह दीराजिंदर

छाया प्रति प्रमाणित

Assistant Engineer Construction Division W.D Gairsain

107

80

29

)

gleens



परियोजना का नाम— जनपद चमाली के विकासखण्ड गैरसैण में मेहलचौरी मोड़ से सिलंगना— घनियाली मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 1.500 किमी0।

# भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों / सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों / संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गैरसैण, चमोली। सहायक अभियन्ताः निर्माणी खूँपड लो०नि०वि० गैरसेण, चमाली। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खुण्ड लो०नि०वि० गैरसैण, चमोली ।

छाया प्रांत प्रमाग्वत

Assistant Engineer Construction Division

NW.D Gairsain

परियोजना का नाम— जनपद चमाली के विकासखण्ड गैरसैण में मेहलचौरी मोड़ से सिलंगना— घनियाली मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 1.500 किमी0।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

They was

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गैरसैण, चमोली। सहायक अभिवन्ता निर्माण खुण्ड लोजनिव्दिव गैरसैण, चमोली। अधिशासी-अभियन्ता निर्माण खेंपड लींग्निविव गैरसेण, चमोली

विवाधिकाकी नावन

क्रमामीय नवसंख्यकारी केनिप्रवृत्य चीमाली

तम प्रमाणीय बनाविकारी शीचर तम बन प्रभाग विस्थित

ज्या प्रति जनाणित

Assistant Engineer Construction Division

W.D Gairsain

परियोजना का नाम— जनपद चमाली के विकासखण्ड गैरसैण में मेहलचौरी मोड़ से सिलंगना— घनियाली मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 1.500 किमी0।

# परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गैरसैण, चमोली। सहायक अभियन्ता तिमीण खण्ड लेकिनि०वि० गेरसेण, चमोली। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोवनिवविव गेरसैण, चिमोली

छाया प्रति प्रमाणित

Assistant Engineer Construction Division W.D Gairsain

### "Central Verge का प्रमाण - पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि सडक निर्माण के पश्चात जहां — जहां सभंव हो सडक के दोनों किनारों पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख — रेख में strip plantation किया जायेगा।

क्रनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०, गैरसैंण सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०, गैरसैंण

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०, गैरसैंण